कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2018–19/एफसीए/तकनीकी/मुवसभ/ 3135 दिनांक 26-06-19

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषय—"Construction of BT Road from Sirmathura Jhiri Road km 9 to Mallpura Village, Tehsil-Baseri, District-Dholpur Rajasthan under RRSMP scheme funded by the World bank के निर्माण कार्य हेतु 1.08 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन" (FP/RJ/ROAD/15972 /2015)

संदर्भ— आपका पत्रांक F-14(road)2018/FCA/PCCF/CCFEDS/-I Jaipur dated 17.05.2019 व उप वन संरक्षक, धौलपुर का पत्रांक 3787 दिनांक 19.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 17.05.2019 से लगाए गये आक्षेपों की पूर्ति उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक 19.06.2019 से निम्नानुसार कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है :—

क्र.सं.	आक्षेप	अनुपालना
1	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या ए–।।। में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम रामजी सोनकर है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में आवेदक राकेश वर्मा अंकित है। अपेक्षित संशोधन प्रस्तावित है।	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या ए–।।। में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम ऑनलाईन प्रस्ताव में संशोधित कर दिया गया है। श्री आर.एस.कोली, अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड बाडी को प्रस्ताव में कार्यवाही कराने हेतु अधिकृत किया गया है। ऑथोराईजेशन लेटर अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड बाडी का संलग्न है।
2	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या सी–वी में संलग्न केएमएल फाईल में चौडाई में एक रूपता नही है। संलग्न पॉलीगन का क्षेत्रफल 1.0769 है. (प्रस्तावित 1.08. है से कम) है। एरिया केलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौडाई एक है। अतः तद्नुसार केएमएल फाईल संशोधित किया जाकर संशोधित GT Sheet & DGPS map संलग्न किया जाने प्रस्तावित है। DGPS map में वन भूमि के अक्षांश देशान्तर संख्या एवं चैनेज अंकित नहीं किये गये हैं।	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या सी–वी में संलग्न केएमएल फाईल एरिया केलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौडाई के अनुसार संशोधित कर संलग्न है। संशोधित GT Sheet & DGPS map संलग्न कर दिये गये हैं। DGPS map में वन भूमि के अक्षांश देशान्तर संख्या एवं चैनेज अंकित कर दिये गये हैं।
3	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या डी में विकल्प एवं उनका विवरण संलग्न किये गये है। किन्तु उसमें प्रभावित वन क्षेत्र व उसकी सी.डी. संलग्न नही की गई है।	प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या डी में विकल्प, प्रभावित वन क्षेत्र एवं उनका विवरण की सी.डी. संलग्न कर दी गयी है।
4	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है। वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्ताव की मूल हार्ड प्रति में जिला कलक्टर द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र पहले से संलग्न है। ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न है।
5	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या एल में गैर वन भूमि विवरण में केएमएल फाईल के पॉलीगन में क्षेत्र 1.0957 है. आता है जो प्रस्तावित वन क्षेत्र से कम है। संशोधित केएमएल, GT Sheet & DGPS map फाईल संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या एल में गैर वन भूमि विवरण में केएमएल फाईल पॉलीगन संशोधित कर दी गयी है। संशोधित केएमएल, GT Sheet & DGPS map फाईल संलग्न कर दिये गये हैं।
6	यूजर एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन दो एरिया केलकुलेशन शीट (1.08 है. एवं 0.72 है) संलग्न है। प्रस्तावित वन क्षेत्र के अनुसार संलग्न की जाना प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा एरिया केलकुलेशन शीट में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

7	यूजर एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन दो बार चार्ट (1.08 है व 0.72 है) संलग्न है। प्रस्तावित वनक्षेत्र के अनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अनुसार बार चार्ट संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में हार्ड प्रति में संलग्न वचनवद्वताऍ ऑनलाईन प्रस्ताव से भिन्न है दोनों में एकरूपता रखा जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त वचनद्वताओं में प्रस्ताव संख्या प्रत्यवर्तित वन भूमि का विवरण संलग्न नही है।	ऑनलाईन व हार्ड प्रति में एक समान अन्डर टेकिंग संलग्न कर दी गयी हैं। सभी अन्डर टेकिंग में आवश्यक सुधार कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव में प्राप्त गैर वन भूमि का जी0टी0 शीट पर अंकन किया हुआ है। जिसमें उक्त क्षेत्र वन सीमा के अन्तर्गत आता है जबकि उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त क्षेत्र वन खण्ड की सीमा में नही है। अतः वन सीमा को संशोधित करते हुए जी.टी0 सीट पर अंकन किया जावें।	गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, धौलपुर का प्रमाण पत्र एवं जीटी शीट पर वन सीमा अंकित कर उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा प्रमाणित कर संलग्न है।

अतः प्रस्ताव की तीन हार्ड प्रतियां (मूल प्रति सहित) व उप वन संरक्षक, धौलपुर का संदर्भित मूल पत्र दिनांक 19.06.19 प्रेषित कर बाद अभिशंषा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कमांक एफ ( ) 2018–19/एफसीए/तकनीकी/मुवसभ/ 3136-37
दिनांक 26-06-19

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, धौलपुर को उनके संदर्भित पत्र के कम में।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजाखेडा, जिला धौलपुर।

(दिग्विजय गुप्ता)
वन संरक्षक,
भरतपुर

Scanned by CamScanner